इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2020—श्रावण 23, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2020

सूचना

क्रमांक एफ—3—30/2020/18—5: मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप—धारा (3) के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप—धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने के पश्चात् संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपित्ति था सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किन्हीं व्यक्तियों, से ऊपर विनिर्दिष्ट कालाविध का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :-

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,-

- 1. नियम 2 में, उप नियम (40) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
 - "(40) "अनुज्ञप्त वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर / इंजीनियर / पर्यवेक्षक / नगर योजनाकार / अग्निशमन इंजीनियर / समूह" से अभिप्रेत है, क्रमशः कोई अर्ह वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर / इंजीनियर / पर्यवेक्षक / नगर योजनाकार /अग्निशमन इंजीनियर/समूह जो, जहां आवश्यक हो, प्राधिकारी द्वारा इस रूप में अनुज्ञप्त किया गया हो,"

2. नियम 16 में,

- (1) उप–नियम (8) में, अनुक्रमांक (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - "(एक) आवेदन पत्र के साथ सामान्य तथा विस्तृत दोनों प्रकार की विशिष्टियां, जिसमें उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का प्रकार तथा श्रेणी देते हुए यथास्थिति, अनुज्ञप्त वास्तुविद्, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर, पर्यवेक्षक, नगर योजनाकार, अग्निशमन इंजीनियर या समूह द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी।"
- (2) उप-नियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
 - "(9) पर्यवेक्षण— आवेदन पत्र के साथ पर्यवेक्षण करने वाले, यथास्थिति, अनुज्ञप्त वास्तुविद्, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर, पर्यवेक्षक, नगर योजनाकार अग्निशमन इंजीनियर या समूह द्वारा परिशिष्ट (ख) में दिए गए प्ररूप में प्रमाण पत्र भी होगा।"

3. नियम 26 में,

- (1) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
 - "(1) प्राधिकारी ऐसे संरचना इंजीनियरों, इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों, नगर योजनाकारों, अग्निशमन इंजीनियरों या समूह को जो उप—नियम (2) में अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं धारण करते हों, परिशिष्ट—ग" में दिए गए प्ररूप में अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगा।"
- (2) उप—नियम (2) में, अनुक्रमांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

पदनाम	न्यूनतम अर्हता			
(1)	(2)			
	मान्यताप्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से अग्निशगन इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में रनातक या समकक्ष			
	हो साथ ही इस क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।"			

- (3) उप-नियम (9) में, अनुक्रमांक (च) के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 - "(च) अग्निशमन इंजीनियर की सक्षमता.— अग्निशमन इंजीनियर समस्त प्रकार के भवनों में, जो राष्ट्रीय भवन संहिता भाग—चार के अधीन आते हैं, फायर सेफ्टी और फायर ऑडिट से संबंधित कार्य करने के लिए सक्षम होगा।"
- (4) उप—नियम (9) में, अनुक्रमांक (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - "(छ) समूह या अभिकरण जब अर्हवास्तुविदों, सरंचना इंजीनियरों, इंजीनियरों, नगर योजनाकारों, अग्निशमन इंजीनियरों का कोई अभिकरण या समूह कार्य कर रहा हो, तो अर्हता और कार्य की सक्षमता, समूह या अभिकरण में व्यक्ति की उच्चतम सक्षमता के बराबर होगी।

नियम 87 में,

- (1) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएं, अर्थात्:--
 - "(4) राष्ट्रीय भवन संहिता (एन बी सी) के उपबंधों के अधीन आने वाले समस्त भवन स्वामियों पर निम्नलिखित उपबंध बंधनकारी होंगे, अर्थात्:--
 - (क) छतों पर या बेसमेंट में किसी रसोई की अनुमित नहीं होगी। छत पर या बेसमेंट में किसी भी प्रकार की खाना पकाने की गतिविधि की अनुमित नहीं दी जाएगी।
 - (ख) छतों पर ज्वलनशील पदार्थ के भण्डारण की अनुमति नहीं होगी।
 - (ग) एफ आर पी का उपयोग करके छत या छज्जे के ऊपर किसी अस्थाई छत अथवा एवं किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ की अनुमित नहीं दी जाएगी।

- (घ) निर्माण की ज्वलनशील सामग्री जैसे लकड़ी के पैनलिंग, फोम पैनलिंग, कालीन आदि का उपयोग मार्ग, गलियारों या सीढ़ियों में नहीं किया जाएगा।
- (ड.) गैस बैंक, यदि कोई हो, राष्ट्रीय भवन कोड (एन बी सी) में निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा।
- (च) मुख्य विद्युत पैनल जैसे एचटी, एल टी, एल टी एवं सभी प्रकार की हाईराईज बिल्डिंग्स, किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि वाली बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, उत्पादन, परीक्षण, शिक्षण, भंण्डारण तथा गोदाम आदि के डी जी चेंजओकर और मैन सप्लाई पैनल केबिनेट क्लीन एजेंट गैस फायर सुप्रेशन सिस्टम से संरक्षित होना चाहिए।
- (छ) सभी मंजिल स्तर और सीढ़ियों पर सभी मार्ग / गलियारों के धुंए के वेंटिलेशन के लिए प्राकृतिक या यांत्रिक व्यवस्था की जाए।
- (ज) प्रत्येक मंजिल स्तर पर सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर, 1 घंटे से अनिम्न अग्नि प्रतिरोध रेटिंग वाले अग्नि शमन दरवाजे उपलब्ध कराए जाएं जहां प्रत्येक मंजिल पर रहने वालों की संख्या 10 से अधिक है।
- (5) राष्ट्रीय भवन संहिता (एन बी सी) के खण्ड 4.10.1 में यथा उल्लिखित ऐसे भवनों का फायर ऑडिट वर्ष में एक बार किया जाएगा और भवन का स्वामी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे:
 - (क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 जून तक परिशिष्ट-ठ में दिए गए विहित प्ररूप-ध में अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
 - (ख) यदि स्वामी ऊपर यथा उल्लिखित खंड (क) के उपबंधों का पालन करने में असफल रहता है: पहली बार पालन न करने की दशा में, उसे अगले तीन माह में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश के साथ एक चेतावनी जारी की जाएगी। दूसरी बार पालन न करने की दशा में, यह कथन करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि क्यों न उसे जारी की गई फायर एन ओ सी को रद्द कर दिया जाए। सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, फायर प्राधिकरण द्वारा फायर एनओसी को रद्द करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

परिशिष्ट—ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

परिशिष्ट—ख [नियम 16(9) देखिए] पर्यवेक्षण के लिए प्ररूप

	मैं, एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि भवन क्रमांक गॅलोनी / मार्ग क्रमांकमोहल्ला / बाजा	₹/₹	सङ्क			शहर	
मेरे	पर स्थित गैं , का विकास कार्य पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा और मैं यह प्रमाणित	न क	रता हूं	्कि सम	क्त सामग्र	ी (प्रकार	तथा श्रेणी)
	कार्य की कारीगरी सामान्य रूप से इसके साथ प्रस्तुत और कार्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार किया जाएग		हए गए	सामान्य	तथा विस	तृत ब्यौरों	के अनुरूप
1.	वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर / इंजीनियर / पर्यवेक्षक / नगर	2	*******	**********			*********
	योजनाकार / अग्निशमन इंजीनियर समूह के हस्ताक्षर	100					8
2.	वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर / इंजीनियर / पर्यवेक्षक / नगर योजनाकार / अग्निशमन इंजीनियर समूह का नाम	:	******		* *		
3.	वास्तुविद् की दशा में, परिषद् में उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	:	*******				
0.	संरचना इंजीनियर/इंजीनियर समूह/पर्यवेक्षक/ नगर योजनाकार/ अग्निशमन इंजीनियर समूह का अनुज्ञप्ति क्रमांक	:					
	वास्तुविद् / संरचना इंजीनियर / इंजीनियर / पर्यवेक्षक / नगर योजनाकार / अग्निशमन इंजीनियर समूह का पता	:	errese.				*
	अनुज्ञप्ति / परिषद् में रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की तारीख	:	*******			********	
0							

तारीख

6. परिशिष्ट-ग के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट स्थापित किया जाए, अर्थात्: -

परिशिष्ट-ग

(नियम 26 देखिए)

(अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी का नाम तथा पता) संरचना इंजीनियर / पर्यवेक्षक / नगर योजनाकार / अग्निशमन इंजीनियर समूह के रूप में कार्य करने के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012

क अधान अनुज्ञाप्त जारा करन हत्	तु प्ररूप
अनुज्ञप्ति क्रमांक	
दिनांक	
यह अनुज्ञप्ति श्री / श्रीमती / कुमारी	डांजीनियर समह के ऐसे कर्तव्यों का
यह अनुज्ञप्ति दिनांक/ को समाप्त होगी। अ पुस्तक क्रमांक देनांक के माध्यम भुगतान किया है।	नुज्ञप्तिधारी ने रसीद क्रमांक । सेरूपये की फीस का
अनुज्ञप्ति नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन होगी।	
तारीख	
	प्राधिकारी की मोहर
	अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकृत
	अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम
शर्ते	
1. अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय है।	
 अनुज्ञप्तिधारी अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर करेगा और यह सभी युक्तियुक्त समयों पर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के अध्यधीन होगी। 	इस अनुज्ञप्ति की मूल प्रति प्रदर्शित (अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी)

3. अनुज्ञप्तिधारी, समाप्ति की तारीख के पूर्व इस अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराएगा।

अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अधीन कार्य करेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंधों का पालन करेगा और सख्ती से इस

- 5. अनुज्ञप्तिधारी की सक्षमता मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के उपबंधों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- 6. समूह या अभिकरण : जब कोई अभिकरण या कोई अर्हता प्राप्त वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर या नगर योजनाकार का समूह कार्य कर रहा हो, तब अर्हता और कार्य की सक्षमता उस समूह या अभिकरण में व्यक्ति विशेष की उच्चतम सक्षमता के समतुल्य होगी।
- 7. अनुज्ञिप्तिधारी, योजना तैयार करने तथा उसके द्वारा किए गए पर्यवेक्षण कार्य संबंधी सभी सुसंगत अभिलेख रखेगा। यह अभिलेख अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए अध्यधीन होगा।
- 8. अनुज्ञप्तिधारी तैयार किए गए और अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम और अनुज्ञाप्ति क्रमांक लिखेगा।
- 9. यह अनुज्ञप्ति मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन है और इन शर्तों में से किसी शर्त का भंग होने पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की जाने वाली अन्य किसी विधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अनुज्ञप्ति रद्द हो जाएगी।

अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम निम्नलिखित परिशिष्ट–ठ अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः

परिशिष्ट–ठ				
प्ररूप ध				
[नियम 87 (5) देखिए]				
फायर ऑडिट रिपोर्ट				
वर्ष				

[नियम 87 (5) देखिए]	
फायर ऑडिट रिपोर्ट	
वर्ष	
प्रति,	
1 (स्वामी का नाम)	
(पता)	
महोदय,	
विषय: भवन का नाम तथा पताकी फायर ऑडिट रिपोर्ट व	Þ
प्रस्तुतीकरण।	
मैं(अग्निशमन इंजीनियर का नाम) ने आपके भवन / परिसर का दिनांक व	हो
निरीक्षण किया और अग्निशमन यंत्रों / अधिष्ठायनों का निरीक्षण किया और छक्त भवन / परिसर का फाय	14
ऑडिट पूर्ण किया जिसके लिए अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा फायर अनापित प्रमाण पत्र क्रमांक	•••
दिनांक जारी किया गया है।	
2. स्थापित किए गए अग्निशमन उपकरणों के ब्यौरे निम्नानसार है:-	

अनुक्रमांक	विवरण	उपलब्ध है या स्थापित नहीं है (आवश्यकतानुसार) (टिप्पणी देवें)	सिस्टम के कार्य करने के लिए टिप्पणी (यदि आवश्यक हो तो ब्यौरे संलग्न करें)
1.	एक्सेस	±	
2.	वेट राईजर		
3.	डाउन कमर,	34.4	
4.	होज रील		183
5.	ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम		
6.	यार्ड हायड्रेंट	ç	

7.	अंडरग्राउन्ड टेंक विथ ड्रा ऑफ कनेक्शन			
8.	टेरेस टेंक्स			
9.	फायर पंप	Charles and the control of the contr		
10.	टेरेस पंप			
11.	फस्ट एड फायर फाईटिंग एप्लायंसेज			N
12.	प्रेशराईजेशन सिस्टम			
13.	ऑटो डिटेक्शन सिस्टम			
14.	मैन्युअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रीकल फायर अलार्म सिस्टम		5	
15.	पी.ए. (पब्लिक एड्रेस) सिस्टम विथ टाक बैक फेसिलिटी			
16.	इमरजेंसी लाईट) I	
17.	ऑटो डी.जी. सेट		×	
18.	इल्यूमिनेटेड एक्ज़िट साईन			
19.	मीन्स ऑफ एस्केप			
20.	कम्पार्टमेन्टेशन	= 1,		
21.	एमसीबी / ईएलसीबी			

22.	फायरमैन स्विच इन		` x		
A,	लिफ्ट				
23.	होज बॉक्सेस विथ	3	 	1	
	डिलिवरी होज एंड				
	ब्रांच			1	27 5 1)
24.	रिफ्यूज एरिया	3	,	Į.	
25.	एनी अदर				X
	इन्सटॉलेशन				

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरण काम करने की स्थिति में एवं सुरक्षित हैं।

दिन			
122	Tab.	0.00	
16.	1147		

1		हस्ताक्षर्		
फायर इंजी	नियर का	् नाम		
लाईसेंस नं				
पता	:	,,	ļ	
			1	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष वैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 03-30-2020-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ 03-30-2020-अठारह-5, दिनांक 13 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष वैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th August 2020

NOTICE

F.No.F-3-30/2020/18-5:-The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 87 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published, as required by sub-section (1) of section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any persons, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government, namely:-

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,-

- 1. In rule 2, for sub-rule (40), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(40) "Licensed Architect / Structural Engineer / Engineer / Supervisor /Town Planner /Fire Engineer/ Group" means, respectively, any qualified Architect / Structural Engineer / Engineer / Supervisor /Town Planner / Fire Engineer/ Group who, where necessary, has been licensed as such by the Authority."

2. In rule 16,

- (1) In sub-rule (8), for serial number (i), the following serial number shall be substituted, namely:-
 - "(i) Specifications both general and detailed, giving type and grade of materials being used, duly signed by the Licensed Architect, Structural Engineer, Engineer, Supervisor, Town Planner, Fire Engineer or Group, as the case may be, shall accompany the application."
- (2) For sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(9) Supervision-The application shall be further accompanied by a certificate in form given in Appendix-B by the Licensed Architect, Structural Engineer, Engineer, Supervisor, Town Planner, Fire Engineer or Group, as the case may be, undertaking the supervision."

3. In rule 26,

- (1) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(1) The Authority may issue licenses in form given in Appendix-C to Structural Engineers, Engineers, Supervisors, Town Planners and Fire Engineers, who possess the minimum qualifications as laid down in the sub-rule (2)."
- (2) In sub-rule (2), after serial no. 5, the following serial no. shall be inserted, namely:-

Designation	Minimum Qualification			
(1)	(2)			
"6. Fire	Graduate in Fire Engineering/ Technology or			
Engineer	equivalent of recognized Indian or foreign			
	university with three years experience in this field."			

- (3) In sub-rule (9), for serial number (F), the following serial number shall be substituted, namely:-
 - "(F) Fire Engineer-Competence.- The Fire Engineer shall be competent to carry out work related to fire Safety and Fire Audit in all types of buildings, which are covered under National Building Code Part-IV."
- (4) In sub-rule (9), after serial number (F), the following serial number shall be inserted, namely:-
 - "(G) Group or Agency- When an agency or group of qualified Architects, Structural Engineers, Engineers, Town Planners, Fire Engineers is practicing, then the qualification and competence of work shall be equivalent to the highest competency of individual in the group or agency."

4. In rule 87,

- (1) After sub-rule (3), the following sub-rules shall be added, namely:-
 - "(4) The following provisions shall be binding on all building owners falling under the provisions of the National Building Code (NBC), namely:-
 - (a) No kitchen will be allowed on rooftops or basements. No cooking activity of any kind will be permitted on rooftop or basement.

- (b) Storage of inflammable material will not be allowed on the rooftops.
- (c) No temporary roofing over the roof or terrace using FRP or any inflammable material will be allowed.
- (d) Flammable materials of construction will not be used in passage, corridors or staircase like wooden paneling, foam paneling, carpet etc.
- (e) Gas Bank, if any will be installed conforming to the standards prescribed in the National Building Code (NBC).
- (f) Main electrical panels like HT, LT & main power distribution, DG changeover and main supply panels of all types high rise buildings, buildings carrying on any type of commercial activity, offices, hospitals, nursing homes production, testing, educational, storage and godown etc. should be protected with in cabinet clean agent gas fire suppression system.
- (g) Natural or mechanical arrangement be made for smoke ventilation of the all passages / corridors at each floor level and staircase.
- (h) Fire Doors having fire resistance rating of not less than 1 hour at the entrance of staircases at each floor level be provided where number of occupants are more than 10 on each floor.
- (5) The fire audit of such buildings as mentioned in clause 4.10.1 of the National Building Code (NBC) shall be carried out once in a year and the owner of the building shall be responsible for the following:
 - (a) Submission of Fire Audit report in prescribed Form-S given in Appendix-L by 30th of June of every financial year.
 - (b) If the owner fails to comply with the provisions of clause (a) as mentioned above: in case of non-compliance for the first time, a warning will be issued to him with the direction to submit the same in the next three months. In case of non-compliance for the second time, a show cause notice stating as to why the Fire NOC issued to him should not be cancelled, will be issued to him. After giving a reasonable opportunity of being heard, a decision regarding cancellation of Fire NOC may be taken by the Fire Authority."

5. For Appendix -B, the following Appendix shall be substituted, namely :-

APPENDIX-B [Rule 16(9)]

FORM FOR SUPERVISION

I hereby certify that the development, erection, re-erection or material alteration in/of Building No					
1.	Signature of Architect/Structural Engineer/Engineer/Supervisor/Town	:			
	Planner/Fire Engineer/Group				
2.	Name of Architect/Structural	F			
	Engineer/Engineer/Supervisor/Town				
	Planner/Fire Engineer/Group				
	5.00				
3.	In case of Architect, his Registration No. with the Council	1			
4.	License No. of Architect/Structural Engineer/Engineer/Supervisor/Town	1			
	Planner/Fire Engineer/Group				
	-				
5.	Address of Architect/Structural Engineer/Engineer/Supervisor/Town	E			
	Planner/Fire Engineer/Group				
	Tamon ne Engineer Group				
5.	Date of validity of license/Registration with Council	E			
	Date				

6. For Appendix -C, the following Appendix shall be substituted, namely:-

APPENDIX-C

(See rule 26)

(Name and Address of the Local Authority having jurisdiction)

FORM FOR ISSUING LICENSE UNDER MADHYA PRADESH BHUMI VIKAS RULES, 2012 TO WORK AS STRUCTURAL ENGINEER/ENGINEER/SUPERVISOR/TOWN PLANNER/FIRE ENGINEER/GROUP

License	e No									
	Date									
										9
	This license	is granted t	to Shri/	Smt./Ku.				(Nam	e and a	ddress)
		•	to	perfor		the	dutics			ructural
Engine	er/Engineer/S	Supervisor/	Town 1	-		gineer/0	Group	as laid	down	in the
_	a Pradesh	-				_	_			
•				•				3		
						,	ren			
	This license	-								
fee Rs.	•••••	, vide Recei	ipt No.		Book No)	Da	ite	*******	****
The lice	nse is subjec	t to the con	ditions	set forth	hereund	er.				
Place					Soci	l of Aut	hority			
Flace					Sea	i Oi Aut	liority			
Date		. "1			Sign	nature a	nd Desi	ignation		
					C.1	A .1	. 1	cc .	. 1	
0					of th	ne Auth	orized	officer to	grant I	icense
				CONDIT	IONS					
- 1. T	The license is	non-transf	erable.							
2. T	The licensee	shall displa	y the o	riginal co	py of th	nis licen	se on a	conspic	uous p	lace in
	is/their offic	-	•	-				_	•	

...... (Authority having jurisdiction) at all reasonable times.

3. The licensee shall get this license renewed prior to the date of its expiry.

- 4. The licensee shall abide by the provisions of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 and work strictly within the terms of this license.
- 5. The competence of the licensee shall be determined by the provisions of Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012.
- 6. Group or Agency: When an agency or a group of qualified Architect or Structural Engineer or Engineer or Town Planner or Fire Engineer is practicing then the qualification and competence of work shall be equivalent to the highest competency of individual in the group or agency.
- 7. The licensee shall keep all relevant records for the preparation of plans and of supervision work done by him. This record shall be subject to inspection by the authorised officer of the Authority having jurisdiction.
- 8. The licensee shall put up his signature, name and license number on each document prepared and submitted to the Authority having jurisdiction.
- 9. This license is subject to the conditions mentioned in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 and any breach of any of these conditions will entail cancellation of the license without prejudice to any other legal action against the licensee under any law for the time being in force.

Signature and Designation of the Authorised Officer to grant license

7. The following Appendix-L shall be inserted, namely	7	The following	Appendix-L	shall be	inserted,	namely	7:-
---	---	---------------	------------	----------	-----------	--------	-----

APPENDIX-L

FORM 'S'

[See Rule 87 (5)]

Fire Audit Report

	Year
То	
	1(Owners name)
	(Address)
Sir,	
	Sub: Submission of fire audit report of building name and address

	I (Name of the Fire Engineers) have inspected you
buildi	ng / premises on (date) and checked all Fire Equipments /installations and have
compl	leted the Fire Audit of the said Buliding/Premises for which Fire NOC No dated
	issued by Fire Authority.

2. Details of fire system installed are as below:-

S. No.	Particular	Available/ Installed or not installed (as per requirements) (give comments)	comments for working of system (attach details, if needed)
1.	Access		
2.	Wet Riser		
3.	Down Comer		
4.	Hose Reel		
5.	Automatic Sprinkler System		
6.	Yard Hydrant		
7.	Underground Tank with Draw off Connection		
8.	Terrace Tanks		
9.	Fire Pump		
10.	Terrace Pump	20	

11.	First Aid Fire Fighting	i i	
	Appliances	7	
12.	Pressurization System		
13.	Auto Detection System	12	
14.	Manual operated Electrical		
	Fire Alarm System		
15.	P.A. System with talk back	K-	u u
	facility		a
16.	Emergency Light		A
17.	Auto D.G. Set	43	
18.	Illuminated Exit Sign		1
19.	Means of Escape		0
20.	Compartmentation		
21.	MCB/ELCB		
22.	Fireman Switch in Lift		
23.	Hose Boxes with Delivery		
	Hose and Branch		
24.	Refuge Area		
25.	Any other installation		

It is certified that the Installed Fire system as given above are in working condition and safe.

Date:

Signature

Name	ot	J	ť	1	r	e	,	ŀ	Ú	n	٤	5	U	n	E	:(3	Γ	
L. No.	:				٠		٠									٠	•	٠	
Add.	:																		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.